भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 529
(03 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत कार्य दिवस

529. श्रीमती माला राय:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल राज्य में दिनांक 01-08-2025 से 15-01-2026 तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के माध्यम से कितने कार्य दिवस सृजित किए गए हैं;

(ख) विगत छह महीनों के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार को मनरेगा के लिए किए गए भुगतान की कुल राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ग): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के अंतर्गत पश्चिम बंगाल राज्य के लिए निधियां जारी करना दिनांक 09.03.2022 से रोक दिया गया था और यह कार्रवाई महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 27 के प्रावधानों को लागू करते हुए की गई थी क्योंकि राज्य द्वारा केंद्र सरकार के निर्देशों का निरंतर अनुपालन नहीं किया जा रहा था।

यहाँ यह उल्लेख किया जाता है कि माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के दिनांक 18.06.2025 के आदेश के अनुपालन में, इस विभाग द्वारा दिनांक 06.12.2025 को पश्चिम बंगाल राज्य में महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यान्वयन को पुनः आरंभ करने हेतु आदेश जारी किए गए हैं जोकि योजना के प्रभावी एवं विधिसम्मत कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित विशेष शर्तों के अनिवार्य अनुपालन के अध्यधीन है। इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए श्रम बजट प्रस्ताव अधिकार प्राप्त समिति, महात्मा गांधी नरेगा योजना के विचारार्थ प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।